ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0।

पत्रांक–ग्रे.नो. / आई0टी0 / 2019 / 2739
दिनांकः–21 /06/ 2019

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0, संस्थागत, बिल्डर्स, वाणिज्यिक एवं औधोगिक योजनान्तर्गत आवंटित सम्पतियों के विरूद्व अतिदेय / डिफाल्टर धनराशि होते हुए भी बन्धक अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जा सकती हैः–

जिस किसी भी वित्तीय संस्था / बैंक / सरकारी संस्थान आदि के पक्ष बन्धक अनुमति दी जा रही है, को जारी किये जाने वाले बन्धक अुनमति पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जायेगा कि वह संस्था / बैंक / सरकारी संस्थान आदि बन्धक अनुमति के सापेक्ष स्वीकृत किये जाने वाली ऋण की धनराशि में से सर्वप्रथम प्राधिकरण के देयकों यथा प्रीमियम, लीज रेन्ट, अतिरिक्त प्रतिकर (समय विस्तरण शुल्क छोडकर, जिसे कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करते समय वसूला जायेगा) को प्राधिकरण के पक्ष में जमा करायेगे तथा अवशेष धनराशि को आवंटी / कम्पनी के पक्ष में सम्बन्धित परियोजना (आवंटित भूखण्ड) को पूर्ण करने हेतु जारी करेगें। बन्धक अनुमति तभी प्रभावीं होगी जब वित्तीय संस्थान / बैंक / सरकारी संस्थान आदि से बन्धक अनुमति पत्र गें वर्णित धनराशि (बकाया) प्राधिकरण में प्राप्त हो जायेगी। ऐसा न करने पर किसी भी वित्तीय संस्था / बैंक / सरकारी संस्थान आदि के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा जारी बन्धक अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 31.05.2019 में माननीय संचालक मण्डल द्वारा अनुपूरक मद संख्या–13 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

21/6/19

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 / संस्थागत)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(जी / डी) महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष(   ), ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबन्धक(सिस्टम / बोर्ड बैठक), ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 / संस्थागत)